जज ने कहा-न्यायपालिका की निष्पक्षता से समझौता नहीं होगा

सिफारिश की कोशिश पर नाराज जज सुनवाई से हटे

अदालत से 1

प्रयागराज, विधि संवाददाता। कोडीन युक्त कफ सिरप मामले में गिरफ्तार आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान एक नया मोड़ आया। कई आरोपियों की ओर से जमानत की सिफारिश के लिए जज तक निजी पहुंच बनाने की कोशिश से नाराज न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने खुद को इन जमानत याचिकाओं की सुनवाई से अलग कर लिया है। मुख्य आरोपी भोला जायसवाल सहित दर्जनों आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान न्यायाधीश तक निजी तौर पर पहुंच बनाने के प्रयास पर बेहद कड़ी टिप्पणी करते हुए इसे हाईकोर्ट के इतिहास का काला दिन करार दिया।

न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर किसी भी प्रकार का बाहरी प्रभाव डालने का प्रयास कानून के शासन की गरिमा पर सीधा आघात है। उन्होंने स्वयं को मामले की सुनवाई से अलग कर लिया और दूसरी पीठ को सौंपने के लिए भेजने का आदेश दिया।

इसलिए नाराज हुए जज: दरअसल, इस मामले में दर्जनों आरोपियों ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इनपर एक साथ सुनवाई के लिए कोर्ट ने 30 जुलाई की तिथि नियत की थी। गुरुवार को सुबह दस बजे सुनवाई शुरू होनी थी। याचियों के वकीलों के साथ ही राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और एजीए प्रथम परितोष कुमार मालवीय भी उपस्थित थे। कोर्ट ने कहा कि बहस के बाद आदेश सुरक्षित रखा जा सकता था लेकिन बाद में वादकारी पक्षों द्वारा पहुंच बनाने और संपर्क स्थापित के प्रयास किए गए।

- कोडीन युक्त कफ सिरप मामले में सुनवाई के दौरान जज ने दी टिप्पणी

न्यायपालिका की प्रतिष्ठा पर संदेह नहीं कर सकते

न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने कहा कि यदि ऐसे हालात में फैसला उस पक्ष के पक्ष में आता, जिसकी दलीलों में प्रथम दृष्टया दम दिखाई देता था। कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को ऐसे संदेह के घेरे में नहीं डाला जा सकता क्योंकि न्याय केवल किया जाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह निष्पक्ष तरीके से किया होना चाहिए।

बिना ठोस कारण आवेदन खारिज करना गलत

2 **प्रयागराज।** इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि किसी भी व्यक्ति के जाति प्रमाण पत्र आवेदन को ठोस व लिखित कारण बताए बगैर खारिज करना संविधान सम्मत नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार एवं न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने मथुरा जिले के आलोक ढांगर व उनकी बहन की याचिका अधिवक्ता विवेक कुमार पाल और सरकारी वकील को सुनकर दिया है। एडवोकेट विवेक कुमार पाल ने कहा कि याची भाई-बहन ने अनुसूचित जाति ढांगर श्रेणी में जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था। सभी जरूरी दस्तावेज जमा करने के बावजूद गत 23 फरवरी को उनका आवेदन केवल साक्ष्य अभाव लिखकर विभागीय वेबसाइट पर खारिज कर दिया गया। इसका न कोई विस्तृत कारण दिया गया, न कोई रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई।

सरकारी सुस्ती देरी का बहाना नहीं

3 **लखनऊ।** हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा है कि सरकारी विभाग सिर्फ लालफीताशाही, फाइलों के इधर-उधर घूमने या प्रशासनिक प्रक्रियाओं में देरी का हवाला देकर मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) मामलों में विलंब से दायर अपीलों की देरी माफ कराने का अधिकार नहीं रखते। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि परिसीमा (लिमिटेशन) अधिनियम के तहत सरकार और निजी पक्षकार दोनों समान हैं इसलिए सरकारी विभागों को किसी प्रकार की विशेष रियायत नहीं दी जा सकती।

आरोपी आयुष यादव की बेल अर्जी खारिज

4 **प्रयागराज।** हाईकोर्ट ने जौनपुर के खेता सराय थाने में दर्ज हत्या के मामले में आरोपी आयुष यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने दिया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार आजाद अपने पिता व अन्य लोगों के साथ चारपहिया वाहन से जा रहा था। रास्ते में नामजद आरोपियों ने फायरिंग कर उसकी हत्या कर दी।

गोरखपुर में मासूम को अगवा कर रेप-हत्या, आरोपी सिपाही बर्खास्त

शर्मनाक

- गाजीपुर का रहने वाला है आरोपी सिपाही अभिषेक
- मेडिकल के लिए अस्पताल पहुंचा तो गुस्सा फूट पड़ा

गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। जिला अस्पताल से मंगलवार रात दस वर्षीय बच्ची का अपहरण कर सिपाही ने उसके संग दुष्कर्म किया और फिर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी सिपाही अभिषेक यादव ने जिला अस्पताल से करीब 15 किलोमीटर दूर चिउटहा श्मशान घाट ले जाकर हैवानियत कर गला घोंट दिया और बच्ची के ही लोअर के नाड़े से हाथ बांधकर शव को नदी में फेंक दिया। गुरुवार सुबह पुलिस ने चिउटहा पुल के नीचे नदी से बच्ची का अर्द्धनग्न शव बरामद किया। उधर, आरोपी सिपाही को बर्खास्त कर दिया गया है।

उधर, गाजीपुर जिले के शादियाबाद थाना क्षेत्र के हंसराजपुर चौरा निवासी गिरफ्तार आरोपी सिपाही अभिषेक यादव को जेल भेजने से पहले पुलिस मेडिकल परीक्षण के लिए लेकर जिला अस्पताल पहुंची, तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। वहां मौजूद स्टॉफ व भीड़ ने आरोपी सिपाही की पिटाई कर दी।

आजमगढ़ के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के गोपालगंज की रहने वाली बच्ची का परिवार पिछले चार वर्षों से गोरखपुर में रह रहा है। पिता ई-रिक्शा चलाकर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। 27 जुलाई को बड़ी बेटी के बीमार होने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मंगलवार रात करीब साढ़े आठ बजे बच्ची अपनी बहन के लिए खाना लेकर अस्पताल पहुंची।

छात्रा को खेत में खींच बनाया बंधक, ड्रोन की मदद से ढूंढ़ा गया

मेरठ। परतापुर के एक गांव में स्कूल जा रही 11वीं की छात्रा को गांव के ही युवक ने घास की गठरी उठाने के बहाने रोका और खेत में खींच लिया। आरोपी ने उसे बंधक बना लिया और रेप का प्रयास किया। सूचना पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों को देख आरोपी धमकी देते हुए भाग निकला। घंटों तक छात्रा का पता नहीं चला तो ड्रोन से उसकी तलाश की गई। करीब तीन घंटे बाद उसे बरामद कर लिया गया।

16 वर्षीय छात्रा मोहिउद्दीनपुर स्थित एक इंटर कॉलेज में 11वीं कक्षा में पढ़ती है। गुरुवार सुबह करीब 7 बजे वह अपनी सहेलियों के साथ साइकिल से स्कूल जा रही थी।

प्रदेश 30s

वृद्धा ने तहसील में खुद पर उड़ेला डीजल

शाहजहांपुर। जमीन में हिस्सा दिलाने की मांग को लेकर करीब 20 दिन पहले दिए गए प्रार्थना पत्र पर सुनवाई न होने का आरोप लगाते हुए एक वृद्धा चित्रा देवी ने गुरुवार को एसडीएम कार्यालय परिसर में डीजल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। मौके पर मौजूद लोगों ने उसके हाथ से बोतल छीन ली। हादसा टल गया। घटना से तहसील परिसर में हड़कंप मच गया।

रिटायरमेंट से एक दिन पहले कर्मी का शव मिला

बुलंदशहर। ककोड़ के चोला गांव स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में गुरुवार को हुई घटना ने लोगों को स्तब्ध कर दिया। रिटायरमेंट से एक दिन पहले ड्यूटी के अंतिम दिन पीएचसी के ड्रेसिंग रूम में वार्ड ब्वॉय राकेश सोलंकी का शव संदिग्ध हालात में पंखे से फांसी पर लटका हुआ मिला। घटना का पता लगते ही स्वास्थ्य केंद्र में हड़कंप मच गया। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को उतारा। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर साक्ष्य जुटाए।

'कमर्शियल गतिविधियों की जगह बन गए हैं थाने'

5 **प्रयागराज, विधि संवाददाता।** इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के डीजीपी को बलिया के पुलिस कांस्टेबल के ट्रांसपोर्ट बिज़नेस की जांच करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि थाने कमर्शियल गतिविधियों की जगह बन गए हैं, पुलिसकर्मी राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने की बजाय लगातार कॉमर्शियल गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं।

इसी के साथ न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने प्रदेश के डीजीपी और उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह को बलिया के रसड़ा थाने के सभी पुलिस अधिकारियों और कांस्टेबलों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने डीजीपी को निर्देश दिया कि 10 दिन के भीतर की गई कार्रवाई का विवरण देते हुए कोर्ट में हलफनामा दाखिल करें।

देवरिया में प्रतिमा हटाने पर बवाल

देवरिया। गौरीबाजार थाना क्षेत्र स्थित लबकनी गांव में ग्रामसभा की जमीन पर बिना अनुमति रखी गई डा. आंबेडकर की प्रतिमा हटाने को लेकर गुरुवार की शाम जमकर बवाल हुआ। ग्रामीणों ने पुलिस व राजस्व टीम पर पथराव कर दिया जिससे पुलिस कर्मियों को भाग कर अपनी जान बचानी पड़ी।

टीजीटी अंग्रेजी में 42 और अभ्यर्थी कराएंगे काउंसिलिंग

6 **प्रयागराज।** सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी 2022 में अंग्रेजी विषय की परीक्षा में हाईकोर्ट के आदेश पर 42 और अभ्यर्थियों को औपबंधिक रूप से सफल घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के उपसचिव एवं पीआरओ डॉ. संजय सिंह के अनुसार, टीजीटी अंग्रेजी में विज्ञापित 557 पदों के सापेक्ष लिखित परीक्षा में अर्हता परीक्षण के लिए सफल अभ्यर्थियों का परिणाम 30 जून को घोषित किया गया था। इन अभ्यर्थियों का परीक्षण आयोग कार्यालय में 16 जुलाई को कराया गया। अंतिम उत्तरकुंजी के खिलाफ हाईकोर्ट में योजित याचिका संख्या 9799/2026 के क्रम में विषय विशेषज्ञों के परामर्श एवं आयोग के निर्णय के अनुसार, 42 और अभ्यर्थियों का अर्हता/अभिलेख परीक्षण 10 अगस्त को कराया जाएगा।

आजम खान ने बेगुनाही के लिए पेश किया गवाह

रामपुर। धोखाधड़ी में जिला जेल में बंद सपा नेता आजम खां चर्चित डूंगरपुर प्रकरण में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए गुरुवार को कोर्ट में पेश हुए। वहीं, उन्होंने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए एक गवाह पेश किया। जिसकी गवाही पूरी हो गई है। अब इस मामले में अगली सुनवाई एक अगस्त यानी कल होगी। मालूम हो कि सपा सरकार में गंज कोतवाली क्षेत्र के डूंगरपुर में एक सरकारी परियोजना के लिए बस्ती को खाली कराया गया था। आरोप है कि तत्कालीन मंत्री आजम खां के इशारे पर पुलिस, ठेकेदार और समर्थक बस्ती में पहुंचे और जबरन सामान लूट लिया।

धमकी से डरी छात्रा ने की आत्महत्या

फर्रुखाबाद, संवाददाता। कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में नौवीं की छात्रा द्वारा जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि साढ़े तीन माह पहले दर्ज अपहरण के मुकदमे का मुख्य आरोपी दो दिन पहले जमानत पर जेल से छूटा था और लगातार समझौते का दबाव बना रहा था। परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस के अनुसार, एसपी को दिए गए शिकायती पत्र में परिजनों ने बताया कि 10 अप्रैल को स्कूल जाने को निकली छात्रा और उसकी छोटी बहन की साइकिलें रेलवे स्टेशन के पास खड़ी मिली थीं।

Outward No. 1376/2026 Date-30/07/2026

E-Tender Notice

Chief Officer, Trimbak Municipal Council, Trimbak,Tal.-Trimbakeshwar, Dist.-Nashik, State-Maharashtra invites bids in online form for Proposed Development of Bada Udasin, Naya Udasin, Niramal, Atal & Mahanirvani Akhada at Trimbak Municipal Council, under the Simhastha Kumbhmela works Rs.18,31,40,355/- (Including all Taxes). The tender documents will be available on the website www.mahatenders.gov.in from 31/07/2026 at 3.00 pm to10/08/2026 up to 06.00 PM. The last date for submission of tenders is 10/08/2026.
Note: All necessary details, subsequent notices, and clarifications will be published online on the www.mahatenders.gov.in website.

Sd/- Govind Jadhav, Chief Officer, Trimbak Municipal Council
Sd/- Triveni Tungar, President, Trimbak Municipal Council

DEFENCE INSTITUTE OF ADVANCED TECHNOLOGY
(Deemed to be University under Section 3 of UGC Act 1956)
Girinagar, Pune – 411 025. Tel No. 020 2460 4411 E-Mail:- jr@diat.ac.in

ADMISSION NOTICE

Defence Institute of Advanced Technology is an autonomous organization, fully funded by the Department of Defence Research & Development, Ministry of Defence established with the objective of imparting Post Graduate Education in Engineering and Applied Sciences on thrust area relevant to Defence, Industries, R&D and to conduct research in the Core areas of Defence Technologies.

DIAT invites applications for the M.Tech in Industrial Systems Engineering for Working Professionals.

1. M.Tech in Industrial Systems Engineering (Model Based Systems Engineering)
2. M.Tech in Industrial Systems Engineering (Radar Systems and Technologies)

The M.Tech in Industrial Systems Engineering for Working Professionals is a weekend program that does not affect regular working hours. Details of the programme, application form and other terms and conditions are available on the website **www.diat.ac.in**

Last date for receipt of hard copy of application	31.08.2026
Cut-off Date for determining the Qualification & Experience and upper age limit	31.08.2026
Web link to see detailed advertisement	www.sgpgims.org.in

FACULTY RECRUITMENT FOR ADVANCED PEDIATRIC CENTER -PHASE 1

The Sanjay Gandhi Postgraduate Institute of Medical Sciences, Lucknow invites applications on the prescribed format from Indian citizens for the positions of Professor, Associate Professor and Assistant Professor in various Departments as follows.

Sl. No.	Department/ Specialty	Assistant Professor Level-12 Pay Matrix Rs. 101500/- to Rs. 167400/-					Associate Professor Level-13A-1 Pay Matrix Rs. 138300/- to Rs. 209200/-				Professor Level-14A Pay Matrix Rs. 168900/- to Rs. 220400/-				Total posts
		SC	OBC	EWS	ST	UR	SC	OBC	ST	UR	SC	OBC	EWS	UR	
1	General Pediatrics	01	02	–	–	04	–	01	01	01	–	–	01	–	11
2	Pediatric Pulmonology	–	01	01	–	01	01	–	–	–	–	01	–	–	05
3	Pediatric Neurology	01	01	–	–	01	–	–	–	01	01	–	–	–	05
4	Pediatric Oncology	01	–	–	–	02	01	–	–	–	–	–	–	01	05
5	Pediatric Cardiology	01	01	–	–	01	–	–	–	01	–	01	–	–	05
6	Pediatric Gastroenterology*	–	01	01	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	02
7	Pediatric Surgical Superspecialities	–	01	–	–	01	–	–	–	–	–	–	–	–	02
8	Pediatric & Neonatology Anaesthesia	02	01	01	01	01	–	–	–	02	–	01	–	01	10
9	Pediatric Critical Care	–	01	–	–	02	–	01	–	–	–	–	01	–	05
10	Pediatric Emergency	01	01	–	–	01	–	–	–	01	01	–	–	–	05
11	Pediatric Radiodiagnosis	02	02	01	–	04	01	02	–	02	01	–	–	–	15
	Total	9	12	4	1	18	3	4	1	8	3	3	2	2	70

*One seat of Assistant Professor may be filled for Pediatric Hepatology

Advertisement No.: I/34/ER/ACAD/2026-27 Dated: 30.07.2026 Director

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
क्षेत्रीय दबावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा प्रथम तल, श्री बेरीवाला स्मृति भवन, पी.डी.आर. मॉल के पास, लक्सा रोड, वाराणसी 221010 (उत्तर प्रदेश)
E mail:-sarvar@bankofbaroda.com, website:-wwwbankofbaroda.bank.in, Mob no:- 9554959534

विक्रय सूचना
अचल सम्पत्तियों के बिक्री हेतु
अनुर्गत - IV-A
[नियम 8 (6) सपठित नियम 9 (1) के-प्रावधान देखें]

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) सपठित नियम 9(1) के प्रावधान के तहत ई- नीलामी बिक्री सूचना।

एतदद्वारा जनसाधारण एवं ऋणी/जमानतकर्ता एवं कानूनी वारिसों को विशेष रूप से यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अचल सम्पत्ति/बंधक/प्रभारयुक्त सम्पत्ति को, जिसे **बैंक ऑफ बड़ौदा** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सांकेतिक कब्जे में ले लिया गया है, को बैंक के बकाया वसूली के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा **"जो है जहाँ है", "जो है जैसे है" एवं "जो कुछ भी है"** के आधार पर ई-नीलामी / बिक्री की जायेगी। ऋणी/जमानतकर्ता / कानूनी वारिस / प्रतिभूति आस्ति/देय/आरक्षित मूल्य/ई-नीलामी की तिथि एवं समय, धरोहर राशि (ईएमडी) एवं बिड बढ़ोत्तरी राशि का विवरण निम्नलिखित है-

नीलामी की तिथि- 20.08.2026 समय दोपहर 2 बजे से 6 बजे तक

धरोहर राशि (ई.एम.डी.) का भुगतान ऑनलाईन एनईएफटी/ट्रांसफर (चालान निष्पादन के बाद) (https://baanknet.com) के द्वारा दिनांक 19.08.2026 या उसके पहले किया जायेगा।

क्र0 सं0	ऋणिकर्ता/जमानतकर्ताओं/ कानूनी वारिसों का नाम एवं पता/ प्रोपराइटर	अचल सम्पत्तियों का विवरण	कुल बकाया राशि	आरक्षित धनराशि/ अग्रिम धनराशि/ बिड बढ़ोत्तरी राशि	कब्जे की स्थिति (सांकेतिक/ भौतिक)	सम्पत्ति निरीक्षण हेतु तिथि एवं समय
1	**ऋणकर्ताः- मेसर्स श्री महाकाल इण्टरप्राइजेज** (पंजीकृत कार्यालय) ग्राम-बेन, पोस्ट इलिया, बेन, चकिया, तहसील-चंदौली (उ0प्र0) 232103), **प्रोपराइटर-** श्री अभिषेक पुत्र श्री अरुण कुमार और **जमानतकर्ता** श्री चंद्र शेखर पाल पुत्र श्री मोहन पाल, दोनों का पताः ग्राम-बेन, पोस्ट इलिया, बेन, चकिया, तहसील - चंदौली (उ0प्र0) 232103	अचल संपतत्ति का सभी भाग एवं भूखण्ड आवासीय भूमि एवं भवन, आराज़ी संख्या 571, क्षेत्रफल 0.2340 हेक्टेयर, और आराज़ी संख्या 572, क्षेत्रफल 0.0630 हेक्टेयर, कुल 2 गाटा, क्षेत्रफल 0.2970 हेक्टेयर यानी 2970 वर्ग मीटर, मौज़ा-बेन पट्टी लेहरा, परगना केरामगरौर तहसील चकिया जिला चंदौली में श्री अभिषेक पुत्र श्री अरुण कुमार के नाम से स्थित है। **चौहद्दी पूरबः** पक्की सड़क चकिया इलिया मार्ग। **पश्चिमः** कलावती एवं अन्य का खेत। **उत्तरः** सड़क बेन सिहर मार्ग। **दक्षिणः** राम चंद्र पाल एवं अन्य का खेत।	रु. 34,10,975.55 + दिनांक 08.01.2024 से ब्याज + अन्य खर्चे (मांग सूचना जारी होने के बाद यदि कोई भुगतान है, को घटा कर)	रु. 87,50,000/- रु.8,75,000/- रु.25,000/-	सांकेतिक	19.08.2026 समय दोपहर 2 बजे से सांय 5 बजे तक
2	**ऋणकर्ताः- मेसर्स श्री इंडियन फार्मा पंजीकृत पता-** के-61/144, सप्तसागर मुकुंद निकेतन, वाराणसी (उ0प्र0)-221001 **प्रोपराइटर- श्री संजय कुमार केशरी** पुत्र श्री राधेश्याम केशरी, **पंजीकृत पता-** सी.के.-65/251, मोहल्ला-बड़ी पियरी, चेतगंज, वाराणसी (उ0प्र0)-221001 और **जमानतकर्ता- श्री अनिल कुमार कसेरा** पुत्र श्री नंदलाल कसेरा पता सी.के.-65/251, बड़ी पियरी, चेतगंज, वाराणसी(उ0प्र0)-221001	अचल सम्पत्ति का सभी भाग एवं भूखण्ड मकान संख्या सीके 65/377-एस , क्षेत्रफल 266.06 वर्ग फीट यानी 24.73 वर्ग मीटर, ढका हुआ क्षेत्रफल 297.70 (भूतल पर 215.50 वर्ग फीट यानी 20 वर्ग मीटर + प्रथम तल पर 82.5 वर्ग फीट 7.67 वर्ग मीटर) जोकि मोहल्ला बड़ी पियरी वार्ड चेतगंज शहर वाराणसी उ0प्र0 में श्री संजय कुमार केशरी पुत्र श्री राधेश्याम केशरी और श्री अनिल कुमार कसेरा पुत्र नंद लाल कसेरा के नाम से स्थित है। **चौहद्दी-पूरब-** पत्थर चौका 4 फीट चौड़ा बंद गली **पश्चिमः** राम जी यादव का मकान **उत्तरः** मकान नंबर सीके 65/377 **दक्षिणः** मकान संख्या. सीके 65/377-एस-1, और मकान संख्या. सीके 65/ 377-एस-2,	रु.87,65,118.01 + दिनांक 09.01.2023 से ब्याज + अन्य खर्चे (मांग सूचना जारी होने के बाद यदि कोई भुगतान है, को घटा कर)	रु. 27,05,000/- रु.2,70,500/- रु.10,000/-	सांकेतिक	19.08.2026 समय दोपहर 2 बजे से सांय 5 बजे तक
3.	**ऋणकर्ता- मेसर्स हरीश पोल्ट्री प्रोडक्शन,** प्रोपराइटर-**श्री हरीश चंद्र प्रसाद सिंह** पुत्र स्वर्गीय श्री गिरजा प्रसाद सिंह, **जमानतकर्ता - श्री विकास कुमार गुप्ता** पुत्र श्री बचाऊ लाल, दोनों का पता- निवासी ग्राम व पोस्ट अहरौरा, जिला मिर्जापुर (उ0प्र0)-231301	साम्यिक बंधक सम्पत्ति भूमि एवं भवन क्षेत्रफल 3290 वर्ग फिट जोकि मौजा महुली, परगना अहरौरा, तहसील चुनार, जिला मिर्जापुर में श्री हरीश चंद्र प्रसाद सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री गिरजा प्रसाद सिंह के नाम स्थित है। **सेल डीड के अनुसार चौहद्दी पूरब-** बसंतु और गंगा का मकान तथा गली; **पश्चिमः** हीरा, मुन्नी लाल आदि का मकान; **उत्तरः** मक्खन का मकान और गली; **दक्षिणः** विक्रेता की भूमि और चौहद्दी	रु.45,17,812.22 + दिनांक 22.01.2024 से ब्याज + अन्य खर्चे (मांग सूचना जारी होने के बाद यदि कोई भुगतान है, को घटा कर)	रु. 21,00,000/- रु.2,10,000/- रु.10,000/-	सांकेतिक	19.08.2026 समय दोपहर 2 बजे से सांय 5 बजे तक

बिक्री के नियम एवं शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए कृपया निम्नलिखित लिंक पर अवलोकन करें www.bankofbaroda.bank.in/e-auction.htm & https://baanknet.com तथा इच्छुक बोलीकर्ता प्राधिकृत अधिकारी के **मोबाईल नं. 9554959534**, ईमेलः sarvar@bankofbaroda.com से सम्पर्क कर सकते है।

दिनांक : 29.07.2026 स्थानः वाराणसी प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

हिन्दुस्तान

TENDER NOTICE

Sealed tenders are invited for sale of following items for Haldwani:

Assets for sale	Quantity	Remark
Air Conditioner	11	
Battery 12V 26 AH	16	
Battery 12V 100 AH	34	
Chairs	50	
Chilling Tank	1	
Dehumidifier	3	
Dock Leveler	1	
Fans/Coolers	4	
Fire Extinguishers	63	
Fire Fighting Equipments	Part	
Furniture & Fixture-Others	3	
Metal Cage bin	17	
Metal Plate Rack	3	
Manugraph cityline reel stand	4	
Manugraph cityline Printing Tower and Mono unit	6	
Racs & Almirah	14	
Sewage Treatment Plant	1	
Strapping Machines	2	
Tables	19	
UPS-Office Equipment	1	
Vertical Blinds	1	
Water Cooler	1	
Water Geyser	1	
Water Treatment plant	1	

Inspection Date at site on or before 7th Aug 2026 (except sat and sun). Tender Submission Date is 10th Aug 26 latest by 5 pm. Correspondence Email ID : shailendra.saxena@livehindustan.com, Gautam.vaish@livehindustan.com.

Tender Quote (Basic Price only) will be accepted by Registered Post/Speed Post/Courier/By Hand addressed to "Disposal Committee", C/o "Unit Finance Controller, Hindustan Media Ventures LTD" , 3rd and 4th floor, Tirupati Tower, Nainital Road, Haldwani-263139. Tender should be submitted along with Bank Draft of Rs. 50,000/- (fifty thousand) (as interest free Earnest Money) favouring "Hindustan Media Ventures Limited" Haldwani. For inspection, please contact Stores/Production Department, HMVL, during office hours. Contact Person: Ashutosh Tripathy: 7897056353 - & Rajendra: 9719537088,

Lifting of material will be allowed against 100% advance payment along with GST & applicable TCS/other taxes. After confirmation goods will have to be lifted after one week of confirmation. Material will be disposed on "As is where is basis" and successful tenders will have no right to reject the material. The company reserves the right to reject any or all tenders without assigning any reason whatsoever. GSTIN Certificates is compulsory with Quotation. ESI and PF complied labour would be allowed to work only.